

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान गोविन्दलाल बनाम पुत्रावली गाँव

प्रकरण संख्या 89 / 2023 अन्तर्गत धारा 212 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
07 11/24	अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राथना पत्र हेतु खसमू भाहा 71 की अधि आगाभी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्राथना पत्र दिनांक 23/07/24 को पेश हो।
07 23/24	अधिवक्तागण उपस्थित। हस्तगत प्रकरण के मूल प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) RTA का विस्तारण हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्राधी का प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थाधी निवेदाज्ञा दिनांक 17/08/23 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली विनित होकर गम्बर से फर्न होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर